

राजस्थान सरकार  
समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक:-एफ-2( )बजट/अति.आंव./ICDS/17/5005-16

जयपुर,दिनांक: 3-1-18


उपनिदेशक,  
महिला एवं बाल विकास विभाग,.....।

विषय:- अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2017-18 बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत जिला कार्यालयों से प्राप्त मांग पत्रों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आई.सी.डी.एस. सामान्य/पूरक पोषाहार अंतर्गत विभिन्न उपमदों में परिशिष्ट-अ में अंकितानुसार निम्न बजट मदों में अतिरिक्त आवंटन किया जाता है:-

मांग संख्या-30	मांग संख्या-33
2236- पोषण 02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण 196- जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (04)- समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा [02]- जिला स्तरीय संस्थापन व्यय जनजाति क्षेत्र उपयोजना (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)	2236- पोषण 02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण 196- जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (02)- समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा [02]- जिला स्तरीय संस्थापन व्यय (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)


उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार मैचिंग शेयर के अनुपात एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम (आरटीपीपी), विभाग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

  
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:-एफ-2( )बजट/अति.आंव./ICDS/17/5017-18  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

जयपुर,दि: 3-1-18

1. अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार), मुख्यालय।
2. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
वित्तीय सलाहकार

परिशिष्ट-अ

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	आईडी	नाम जिला	मद	पूर्व आवंटित राशि			अतिरिक्त आवंटन			कुल योग		
				योग	सीए	एसएफ	योग	सीए	एसएफ	योग	सीए	एसएफ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		बांसवाडा	36. वाहन किराया	0.00	0.00	0.00	0.40	0.24	0.16	0.40	0.24	0.16
2		उदयपुर	36. वाहन किराया	1.40	0.84	0.56	-0.40	-0.24	-0.16	1.00	0.60	0.40
3		बाडमेर	01. संवेतन	24.00	14.40	9.60	10.00	6.00	4.00	34.00	20.40	13.60
			20. वाहन संधारण	0.40	0.24	0.16	0.20	0.12	0.08	0.60	0.36	0.24
4		बीकानेर	36. वाहन किराया	1.80	1.08	0.72	0.35	0.21	0.14	2.15	1.29	0.86
5		चित्तौड़गढ़	05. कार्यालय व्यय	0.60	0.36	0.24	0.20	0.12	0.08	0.80	0.48	0.32
			20. वाहन संधारण	0.40	0.24	0.16	0.20	0.12	0.08	0.60	0.36	0.24
			लेब टेस्ट	3.00	1.50	1.50	2.00	1.00	1.00	5.00	2.50	2.50
6		पाली	01. संवेतन	28.00	16.80	11.20	5.00	3.00	2.00	33.00	19.80	13.20
			03. यात्रा व्यय	0.50	0.30	0.20	0.20	0.12	0.08	0.70	0.42	0.28
			05. कार्यालय व्यय	0.80	0.48	0.32	0.20	0.12	0.08	1.00	0.60	0.40
			20. वाहन संधारण	0.55	0.33	0.22	0.05	0.03	0.02	0.60	0.36	0.24
7		राजसमंद	01. संवेतन	20.00	12.00	8.00	5.00	3.00	2.00	25.00	15.00	10.00
			36. वाहन किराया	1.80	1.08	0.72	0.35	0.21	0.14	2.15	1.29	0.86
8		सिरोही	05. कार्यालय व्यय	0.60	0.36	0.24	0.20	0.12	0.08	0.80	0.48	0.32
			20. वाहन संधारण	0.40	0.24	0.16	0.10	0.06	0.04	0.50	0.30	0.20
			लेब टेस्ट	2.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	3.00	1.50	1.50
9		टोंक	05. कार्यालय व्यय	0.70	0.42	0.28	0.20	0.12	0.08	0.90	0.54	0.36
			लेब टेस्ट	2.40	1.20	1.20	1.50	0.75	0.75	3.90	1.95	1.95
10		जयपुर	05. कार्यालय व्यय	0.60	0.36	0.24	0.40	0.24	0.16	1.00	0.60	0.40
11		करौली	01. संवेतन	16.00	9.60	6.40	8.00	4.80	3.20	24.00	14.40	9.60
12.		धूस	01. संवेतन	30.00	18.00	12.00	3.00	1.80	1.20	33.00	19.80	13.20

राजस्थान सरकार  
समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ-2( )बजट/अति.आंव./ICDS/17/4928-42

जयपुर,दिनांक: 3-1-18

बाल विकास परियोजना अधिकारी,  
समेकित बाल विकास सेवाएँ,  
.....जिला.....।

विषय:- अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2017-18 बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत जिला/परियोजना कार्यालयों से प्राप्त मांग पत्रों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आई.सी.डी.एस. सामान्य के विभिन्न उपमदों में परिशिष्ट-अ एवं पूरक पोषाहार के अंतर्गत परिशिष्ट-ब में अंकितानुसार निम्न बजट मदों में अतिरिक्त आवंटन किया जाता है:-

नोन टी.एस.पी. परियोजनाओं के लिए	भण्डार, परिवहन, गरम पोषाहार	आरटीई एसएचजी के लिए
मांग संख्या-33 2236- पोषण 02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण 101- विशेष पोषण कार्यक्रम (01)- समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम से [02]- एकीकृत बाल विकास योजना (केन्द्रीय सहायता/ राज्य निधि)	मांग संख्या-33 2236- पोषण 02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण 101- विशेष पोषण कार्यक्रम (01)- समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम से [01]- पोषाहार केश कार्यक्रम 61- खाद्य सामग्री (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)	मांग संख्या-51 2236- पोषण 02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01)- समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम से [01]- पोषाहार केश कार्यक्रम 61- खाद्य सामग्री (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)


नोट:- (1) पूर्व में आरटीई एसएचजी हेतु राशि का आवंटन SCP मद में किया जा रहा था, अब आरटीई एसएचजी हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन बजट मद 2236-02-101-01-01-61 खाद्य सामग्री में किया जा रहा है। अतः तदनुसार राशि का व्यय किया जावे।


(2) अधिकांश कार्यालयों द्वारा प्रोत्साहन एवं मानदेय (कार्यकर्ता एवं सहायिका) मद अंतर्गत अतिरिक्त बजट की मांग केवल सीए व एसएफ मद में ही गई है जबकि प्रोत्साहन एवं मानदेय मद अंतर्गत बजट आवंटन प्रपत्र-अ (60:40 प्रतिशत आनुपातिक-सीए व एसएफ) एवं ब (100 प्रतिशत एसएफ) में किया गया है। अतः तदनुसार व्यय सुनिश्चित करावें। भविष्य में प्रोत्साहन एवं मानदेय मद अंतर्गत अतिरिक्त बजट आवंटन की मांग उक्तानुसार ही प्रस्तुत करावें अन्यथा प्राप्त मांग पर विचार नहीं किया जावेगा।

उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार मैचिंग शेयर के अनुपात एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम (आरटीपीपी), विभाग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

क्रमांक:-एफ-2( )बजट/अति.आंव./ICDS/17/4943-59  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार), मुख्यालय।
2. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,.....।
3. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
वित्तीय सहायकार  
जयपुर,दि: 3-1-18

  
वित्तीय सहायकार

परिशिष्ट-अ

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	आईडी	नाम परियोजना	मद	पूर्व आवंटित राशि			अतिरिक्त आवंटन			कुल योग		
				योग	सीए	एसएफ	योग	सीए	एसएफ	योग	सीए	एसएफ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		अलवर शहर	04. चिकित्सा व्यय	0.35	0.21	0.14	0.35	0.21	0.14	0.70	0.42	0.28
			05. कार्यालय व्यय	0.40	0.24	0.16	0.10	0.06	0.04	0.50	0.30	0.20
2		बाडमेर शहर	09. किराया कार्यालय	0.40	0.24	0.16	0.08	0.05	0.03	0.48	0.29	0.19
			42. प्रोत्साहन एवं मानदेय-अ	42.70	25.62	17.08	20.00	12.00	8.00	62.70	37.62	25.08
			42. प्रोत्साहन एवं मानदेय-ब	29.05	0.00	29.05	10.00	0.00	10.00	39.05	0.00	39.05
3		बांरा शहर	42. प्रोत्साहन एवं मानदेय-अ	55.75	33.45	22.30	10.00	6.00	4.00	65.75	39.45	26.30
			42. प्रोत्साहन एवं मानदेय-ब	32.75	0.00	32.75	3.75	0.00	3.75	36.50	0.00	36.50
4		चुरु शहर	42. प्रोत्साहन एवं मानदेय-अ	36.20	21.72	14.48	15.00	9.00	6.00	51.20	30.72	20.48
			42. प्रोत्साहन एवं मानदेय-ब	20.60	0.00	20.60	5.00	0.00	5.00	25.60	0.00	25.60
5		राजगढ़-चुरु	36. वाहन किराया	1.40	0.84	0.56	0.60	0.36	0.24	2.00	1.20	0.80
6		दौसा शहर	01. संवेतन	25.00	15.00	10.00	7.00	4.20	2.80	32.00	19.20	12.80
7		जयपुर शहर I	05. कार्यालय व्यय	0.45	0.27	0.18	0.15	0.09	0.06	0.60	0.36	0.24
8		सांगानेर शहर	36. वाहन किराया	1.60	0.96	0.64	0.40	0.24	0.16	2.00	1.20	0.80
9		आबूरोड शहर	01. संवेतन	18.00	10.80	7.20	5.00	3.00	2.00	23.00	13.80	9.20
			09. किराया आंगनबाडी	6.21	3.73	2.48	0.29	0.17	0.12	6.50	3.90	2.60
			42. प्रोत्साहन एवं मानदेय-अ	55.75	33.45	22.30	1.00	0.60	0.40	56.75	34.05	22.70
			42. प्रोत्साहन एवं मानदेय-ब	31.50	0.00	31.50	3.00	0.00	3.00	34.50	0.00	34.50
10		कोटा शहर	01. संवेतन	63.00	37.80	25.20	20.00	12.00	8.00	83.00	49.80	33.20
			04. चिकित्सा व्यय	0.45	0.27	0.18	0.20	0.12	0.08	0.65	0.39	0.26
			20. वाहन संधारण	0.50	0.30	0.20	0.10	0.06	0.04	0.60	0.36	0.24
			42. प्रोत्साहन एवं मानदेय-अ	89.00	53.40	35.60	40.00	24.00	16.00	129.00	77.40	51.60
			42. प्रोत्साहन एवं मानदेय-ब	50.50	0.00	50.50	20.00	0.00	20.00	70.50	0.00	70.50
11		जोधपुर शहर	01. संवेतन	80.00	48.00	32.00	10.00	6.00	4.00	90.00	54.00	36.00
			04. चिकित्सा व्यय	0.05	0.03	0.02	0.15	0.09	0.06	0.20	0.12	0.08
			05. कार्यालय व्यय	0.45	0.27	0.18	0.10	0.06	0.04	0.55	0.33	0.22
			20. वाहन संधारण	0.45	0.27	0.18	0.10	0.06	0.04	0.55	0.33	0.22
			42. प्रोत्साहन एवं मानदेय-अ	73.25	43.95	29.30	20.00	12.00	8.00	93.25	55.95	37.30
			42. प्रोत्साहन एवं मानदेय-ब	50.00	0.00	50.00	15.00	0.00	15.00	65.00	0.00	65.00

परिशिष्ट-ब

(राशि लाखों में)

क.सं.	आईडी	नाम परियोजना	मद	पूर्व आवंटित राशि			अतिरिक्त आवंटन			कुल योग		
				योग	सीए	एसएफ	योग	सीए	एसएफ	योग	सीए	एसएफ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		बाडमेर शहर	आरटीई एसएचजी-101	92.00	46.00	46.00	28.00	14.00	14.00	120.00	60.00	60.00
2		बांरा शहर	आरटीई एसएचजी-101	120.00	60.00	60.00	10.00	5.00	5.00	130.00	65.00	65.00
3		दौसा शहर	आरटीई एसएचजी-101	80.00	40.00	40.00	20.00	10.00	10.00	100.00	50.00	50.00
4		जयपुर शहर I	गरम पूरक पोषाहार	52.00	26.00	26.00	23.00	11.50	11.50	75.00	37.50	37.50
5		जयपुर शहर II	आरटीई एसएचजी-101	35.00	17.50	17.50	15.00	7.50	7.50	50.00	25.00	25.00
6		आबूरोड शहर	आरटीई एसएचजी-101	110.00	55.00	55.00	30.00	15.00	15.00	140.00	70.00	70.00
7		कोटा शहर	आरटीई एसएचजी-101	90.00	45.00	45.00	30.00	15.00	15.00	120.00	60.00	60.00
8		जोधपुर शहर	गरम पूरक पोषाहार	50.00	25.00	25.00	10.00	5.00	5.00	60.00	30.00	30.00
			आरटीई एसएचजी-101	100.00	50.00	50.00	20.00	10.00	10.00	120.00	60.00	60.00
9		मकराना शहर	आरटीई एसएचजी-101	140.00	70.00	70.00	40.00	20.00	20.00	180.00	90.00	90.00

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ-2( )बजट/अति.आंव./ICDS/17/4916-20

जयपुर,दिनांक: 3-1-18

बाल विकास परियोजना अधिकारी,  
समेकित बाल विकास सेवाएँ,  
.....जिला.....।

विषय:- अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2017-18 बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत जिला/परियोजना कार्यालयों से प्राप्त मांग पत्रों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आई.सी.डी.एस. सामान्य के विभिन्न उपमदों में परिशिष्ट-अ एवं पूरक पोषाहार के अंतर्गत परिशिष्ट-ब में अंकितानुसार निम्न बजट मदों में अतिरिक्त आवंटन किया जाता है:-

टी.एस.पी. परियोजनाओं के लिए	
मांग संख्या-30 2236- पोषण 02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण 197- ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (03)- समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम द्वारा [02]- ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय जनजाति क्षेत्र उपयोजना (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)	मांग संख्या-30 2236- पोषण 02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण 796- जनजातीय क्षेत्र उपायोजना (01)- समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम से [01]- पोषाहार केश कार्यक्रम (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)


नोट:-

(1) अधिकांश कार्यालयों द्वारा प्रोत्साहन एवं मानदेय (कार्यकर्ता एवं सहायिका) मद अंतर्गत अतिरिक्त बजट की मांग केवल सीए व एसएफ मद में ही गई है जबकि प्रोत्साहन एवं मानदेय मद अंतर्गत बजट आवंटन प्रपत्र-अ (60:40 प्रतिशत आनुपातिक-सीए व एसएफ) एवं ब (100 प्रतिशत एसएफ) में किया गया है। अतः तदनुसार व्यय सुनिश्चित करावें। भविष्य में प्रोत्साहन एवं मानदेय मद अंतर्गत अतिरिक्त बजट आवंटन की मांग उक्तानुसार ही प्रस्तुत करावें अन्यथा अतिरिक्त आवंटन हेतु प्राप्त मांग पर विचार नहीं किया जावेगा।


उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार मैचिंग शेयर के अनुपात एवं विभाग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

क्रमांक:-एफ-2( )बजट/अति.आंव./ICDS/17/4921-27  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार), मुख्यालय।
2. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग.....।
3. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोडकरने हेतु।

  
वित्तीय सलाहकार

जयपुर, दि: 3-1-18

  
वित्तीय सलाहकार

परिशिष्ट-अ

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	आईडी	नाम परियोजना	मद	पूर्व आवंटित राशि			अतिरिक्त आवंटन			कुल योग		
				योग	सीए	एसएफ	योग	सीए	एसएफ	योग	सीए	एसएफ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		आसपुर	42. प्रोत्साहन एवं मानदेय-अ	137.50	82.50	55.00	15.00	9.00	6.00	152.50 ✓	91.50	61.00
			42. प्रोत्साहन एवं मानदेय-ब	50.00	0.00	50.00	20.00	0.00	20.00	70.00 ✓	0.00	70.00
2		सलूमबर I	36. वाहन किराया	1.40	0.84	0.56	0.60	0.36	0.24	2.00 ✓	1.20	0.80
3		खैरवाडा I	05. कार्यालय व्यय	0.40	0.24	0.16	0.10	0.06	0.04	0.50 ✓	0.30	0.20
			42. प्रोत्साहन एवं मानदेय-अ	84.50	50.70	33.80	40.00	24.00	16.00	124.50 ✓	74.70	49.80
			42. प्रोत्साहन एवं मानदेय-ब	50.70	0.00	50.70	25.00	0.00	25.00	75.70 ✓	0.00	75.70
4		बागीदौरा	01. संवेतन	80.00	48.00	32.00	10.00	6.00	4.00	90.00 ✓	54.00	36.00
			20. वाहन संधारण	0.45	0.27	0.18	0.10	0.06	0.04	0.55 ✓	0.33	0.22
			42. प्रोत्साहन एवं मानदेय-अ	117.50	70.50	47.00	30.00	18.00	12.00	147.50 ✓	88.50	59.00
			42. प्रोत्साहन एवं मानदेय-ब	70.50	0.00	70.50	15.00	0.00	15.00	85.50 ✓	0.00	85.50
5		गढी II	42. प्रोत्साहन एवं मानदेय-अ	41.60	24.96	16.64	20.00	12.00	8.00	61.60 ✓	36.96	24.64
			42. प्रोत्साहन एवं मानदेय-ब	22.75	0.00	22.75	10.00	0.00	10.00	32.75 ✓	0.00	32.75

**परिशिष्ट-ब**

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	आईडी	नाम परियोजना	मद	पूर्व आवंटित राशि			अतिरिक्त आवंटन			कुल योग		
				योग	सीए	एसएफ	योग	सीए	एसएफ	योग	सीए	एसएफ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		खैरवाडा I	गरम पूरक पोषाहार	26.00	13.00	13.00	20.00	10.00	10.00	46.00	✓ 23.00	23.00
			आरटीई एसएचजी-	130.00	65.00	65.00	70.00	35.00	35.00	200.00	✓ 100.00	100.00
			कल्याण कोष	0.66	0.00	0.66	0.04	0.00	0.04	0.70	✓ 0.00	0.70
2		बागीदौरा	आरटीई एसएचजी-	260.00	130.00	130.00	70.00	35.00	35.00	330.00	✓ 165.00	165.00
3		गढी II	परिवहन/भण्डारण	0.00	0.00	0.00	3.50	1.75	1.75	3.50	✓ 1.75	1.75